Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 50 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *20 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट कोटा इकाई द्वारा आज सवाईमाधोपुर में कार्यवाही करते हुये प्रवीण सक्सैना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दी गई शिकायत पर कार्यवाही करने की एवज मे प्रवीण सक्सैना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा **75 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री धर्मवीर सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज सवाईमाधोपुर में मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रवीण सक्सैना पुत्र श्री शशि भूषण सक्सैना निवासी नगर सेठ के बाग के पीछे, गर्ल्स स्कूल रोड़, शहर सवाईमाधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।